सं० ग्रो.वि./हिसार/116/83/58956.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हिसार टैक्सटाईल मिल, हिसार के श्रमिक श्री राम बाबू तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

इस लिये, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/2/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी ग्रधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ग्रो. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1980 द्वारा उक्त ग्रधिनियम की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम बाबू की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ग्रो.वि./हिसार/116/83/58962.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हिसार टैक्सटाईल मिलज, हिसार के श्रमिक श्री गोबिन्द राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

इसलिये, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/2/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी ग्रधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ग्रो. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1980 द्वारा उक्त ग्रधिनियम की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री गोबिन्द राम की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ग्रो.वि./हिसार/116/83/58968.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. हिसार टैक्सटाईल मिल, हिसार के श्रमिक श्री देश राज तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

इसलिए, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/2/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी ग्रधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ग्रो. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1980 द्वारा उक्त ग्रधिनियम की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री देश राज की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ग्रो.वि./हिसार/117/83/58974.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हिसार टैक्सटाईल मिल, हिसार के श्रमिक श्री राम दुलारे तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

इसलिए, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/2/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी ग्रधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ग्रो. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1980 द्वारा उक्त ग्रधिनियम की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम दुलारे की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ग्रो.वि./हिसार/117/83/58980.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हिसार टैक्सटाईल मिल, हिसार के श्रमिक श्री श्याम लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/2/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक का विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री श्याम लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं.ओ.वि./हिसार/117/83/58986.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. हिसार टैक्सटाईल मिल, हिसार के श्रमिक श्री राय सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/2/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक का विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राय सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं.ओ.वि./हिसार/117/83/58992.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. हिसार टैक्सटाईल मिल, हिसार के श्रमिक श्री रतन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/2/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक का विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रतन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं.ओ.वि./हिसार/117/83/58998.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. हिसार टैक्सटाईल मिल, हिसार के श्रमिक श्री विश्वानाथ तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/2-32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक का विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री विश्वा नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं.ओ.वि./हिसार/117/83/59004.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. हिसार टैक्सटाईल मिल, हिसार के श्रमिक श्री जगपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/2/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक का विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जगपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?